कार्यालय भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा जगदलपुर

जिला चिकित्सालय (महारानी अस्पताल) परिसर, जगदलपुर

फोन नम्बर– 07782–226601

//ज्ञापन//

क्रमांक/36/निविदा/भा.रे.सो./2012–15 जगदलपुर,दिनॉक 6/08/2015

प्रति,

जिला सूचना अधिकारी,
(एन0आई0सी0)
जगदलपुर, जिला बस्तर।

विषयः– वेबसाइट में जानकारी अपलोड करने के संबंध में।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सह–महारानी जिला चिकित्सालय परिसर जगदलपुर में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा जगदलपुर द्वारा मेडिकल स्टोर संचालित है। मेडिकल स्टोर की निविदा की जानकारी प्राधिकृत वेबसाइट **www.cgstate.gov.in** एवं **www.bastar.gov.in** में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नः– भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा जगदलपुर द्वारा संचालित दवा दूकान के संचालन हेतु नियम व शर्तें ।

6/8/15
सचिव
भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी
जिला शाखा जगदलपुर

कार्यालय भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा जगदलपुर

मेकाज परिसर जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)– 494001
दूरभाष क्रमांक 07782–226601

क्रमांक 36/निविदा/भा.रे.सो./2015 जगदलपुर दिनांक 06.08.2015

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सह–महारानी जिला चिकित्सालय परिसर जगदलपुर में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा जगदलपुर द्वारा मेडिकल स्टोर संचालन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त मेडिकल स्टोर में आयुर्वेदिक व एलोपैथी आवश्यक ड्रग लिस्ट में सम्मिलित दवाओं की जेनरिक दवा उपलब्ध होना चाहिए तथा उन जेनरिक दवा का विक्रय अनिवार्य रूप से करना होगा। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा जगदलपुर द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों के अंतर्गत उक्त मेडिकल स्टोर मासिक दर पर एक वर्ष के लिये संचालन करने हेतु दिया जाना है। इच्छुक फार्मसिस्ट/मेडिकल स्टोर संचालक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। निविदा की शर्तें वेबसाइट www.cgstate.gov.in एवं www.bastar.gov.in में देखी जा सकती है।

निविदा हेतु आवश्यक नियम शर्तें निम्नानुसार हैः–

1. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि 07.08.2015 से 14.08.2015 तक रू0 1000/– (एक हजार रूपये मात्र) राशि का बैंक ड्राफ्ट **सचिव, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला बस्तर** के नाम पर देकर कार्यालय कलेक्टर बस्तर जिला जगदलपुर के कक्ष क्रमांक 27 (सामान्य शाखा) से शाम 5 बजे तक प्राप्त कर सकते है। कार्यालय से ही निविदा प्रपत्र (फार्म) प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र डाक से भेजने पर मान्य नहीं होगा।
2. मुहर बंद निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 24.08.2015 अपरान्ह 3.00 बजे तक।
3. निविदा खोलने की तिथि 24.08.2015 को शाम 4 बजे ।
4. निविदा खोलने का स्थान कलेक्टोरेट जगदलपुर के आस्था हाल में अध्यक्ष, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा जगदलपुर/कार्यकारिणी समिति बस्तर जिला एवं समस्त निविदाकारों की उपस्थिति में खोला जायेगा।
5. निविदा प्रत्येक निविदादाता दर के साथ–साथ रूपये 3 लाख (तीन लाख मात्र) का अमानत राशि राष्ट्रीकृत बैंक से देना होगा। जिन निविदाकारों की निविदा स्वीकृत नहीं होगी उन्हें तत्काल बैंक ड्राफ्ट वापस की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट सचिव, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला बस्तर के नाम पर देय होगा । अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। इस राशि का समायोजन बैंक गारंटी राशि में की जावेगी।
6. निविदाकार लिफाफा(अ) में दस्तावेज एवं प्रतिभुति राशि से संबंधित ड्राफ्ट (ब) में शील बंदकर तीसरा लिफाफा (स) दोनों (अ) एवं (ब) को डालकर सील बंदकर प्रस्तुत करना होगा तथा निविदा खोलने के समय को परिवर्तन किया जा सकता है।
7. दुकान द्वारा एम.आर.पी. में सभी दवाओं पर 15 प्रतिशत की छूट देना अनिवार्य है तथा सर्जिकल आयटम बाजार भाव से कम पर विक्रय करना होगा।
8. दुकान में रेडक्रॉस द्वारा दवाओं की जो सूची दी जायेगी। वो अनिवार्य रूप से पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में रखना अनिवार्य होगा।

.....2

9. 10 लाख रूपये (दस लाख मात्र) की बैंक गारंटी 2 वर्ष के लिये देना होगा । बैंक गारंटी पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
10. कार्यकारिणी के अनुमोदन के पश्चात् अध्यक्ष, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा जगदलपुर को अधिकारी होगा कि 1 माह की नोटिस देकर अनुबंध कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
11. 3 माह तक किराया नहीं देने की स्थिति में नोटिस दिये बगैर बैंक गारंटी जब्त कर अनुबंध समाप्त करने का निर्णय अध्यक्ष ले सकते हैं। इस स्थिति में बैंक गारंटी पूरी तरह से सोसायटी के खाते में जमा हो जायेगी जो वापसी योग्य नहीं होगा।
12. दुकान संचालक ग्राहक एवं मरीजों के लिये दुकान के सामने पर्याप्त शेड तथा बुजुर्ग मरीजों के लिये चार से छः कुर्सियां तथा पेय जल की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
13. दुकान किराये के अतिरिक्त बिजली,पानी एवं अन्य संसाधन से चालक की जवाबदारी होगी।
14. आवेदक के पास स्वयं के नाम का ड्रग लायसेंस (रिटेल या थोक विक्रेता) होना अनिवार्य है।
15. आवेदक स्वयं संचालक होंगे एवं किसी भी परिस्थिति में आवेदक किसी दूसरे को संचालन की अनुमति बिना अध्यक्ष भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के बगैर अनुमति के नहीं दे सकते हैं।
16. मेडिकल स्टोर की सेवा प्रतिदिन 24 घण्टे उपलब्ध रखनी होगी।
17. मेडिकल स्टोर से जो भी दवाईयां/उपकरण आदि विक्रय किये जायेंगें उनका कैश मेमो तुरन्त काटा जायेगा। ग्राहकों को रसीद देना अनिवार्य होगा।
18. दवाई दुकान में उच्च स्तर की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्पादकों की दवाईयां ही खरीदी की जावेगी।
19. अध्यक्ष, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा जगदलपुर को अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये संचालक की सेवा को तत्काल निरस्त कर सकेंगें।
20. मेडिकल स्टोर के अन्दर एवं बाहर सी.सी. टीवी कैमरा लगवायी जावेगी।
21. नियम एवं शर्तों में परिवर्तन अध्यक्ष के सहमति से कार्यकारिणी द्वारा आवश्यकतानुसार की जा सकती है। बिना कारण बताऐ कीसी भी अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का अपना अधिकार अधोहस्ताक्षर सुरक्षित रखता है।
22. अध्यक्ष/सचिव, कार्यकारिणी समिति, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा जगदलपुर अथवा उनके द्वारा मनोनीत कोई सदस्य/उप समिति/अधिकारी को समिति की दुकान का निरीक्षण, स्टॉक सत्यापन का अधिकार होगा।
23. ड्रग लायसेंस का नवीनीकरण करवाना एवं विक्रय करने का निर्धारण कराना संचालक की जिम्मेदारी होगी। विक्रय के त्रैमासिक पत्रक एवं टैक्स संचालक द्वारा करवाकर सूचना सेसायटी को देनी होगी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा ऑडिट कराना अनिवार्य होगा।
24. गरीब मरीजों को अध्यक्ष/सचिव, कार्यकारिणी के आदेश पर निःशुल्क दवाई प्रदान करना होगा तथा उसकी पंजी का संधारण करना होगा।

.....3

25. श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश एवं अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
26. मेडिकल स्टोर संचालन हेतु अन्य शासकीय निर्देशों/अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
27. भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा समय–समय पर दिये गये समस्त निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना संचालक के लिये बाध्यकारी होगा।
28. दवाई दुकान से बेची गयी दवाईयां जो कि मरीज के पास बच जायेंगी उन सभी सीलबंद दवाओं को एक सप्ताह के अन्दर लाने पर रसीद के साथ वापस लेना अनिवार्य होगा।
29. दवा दुकान का पूर्ण हिसाब (बिल काटना तथा आमद, विक्रय) व स्टाक को कम्प्युटर के माध्यम से किया जायेगा।
30. निर्णय समिति द्वारा लिये गये निर्णय संचालक पर बंधक कारी होगा तथा निरीक्षण समिति को समय–समय पर दुकान का निरीक्षण करने का अधिकारी होगा।
31. मासिक/वर्ष में होने वाले टर्न ओवर की जानकारी अनिवार्य रूप से अध्यक्ष/सचिव भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा जगदलपुर को भिजवाना सुनिश्चित करेंगें।
32. निविदा खोलने पर अधिकतम दर मिलने पर संबंधित निविदाकार यदि मेडिकल स्टोर संचालन नहीं करना चाहेगा उस स्थिति में दूसरा अधिकतम दर वाले निविदाकार को मान्य करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरित कर्ता को रहेगा।

6/8/15

सचिव
भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी
जिला शाखा जगदलपुर